

an>

Title: Need to give constitutional status to Rajasthani language.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थान के करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी भाषा को सम्मान का दर्जा देते हुए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधान सभा से उपरोक्त आशय का संकल्प प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु इस पर अभी तक सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी।